


संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10-12-19	<p>फलावली पेशद्वारा बार-बार आवृत्त होकर गई परन्तु वारी की तरफ से वास्तव में पेशी कोई भी उपाय नहीं है। न्यायालय का समय समाप्त होने का है अतः वारी की उपाय द्वारा एवं उपाय पेशी में वारी का बंद रखा गया। फलावली जैसलपुर सुपरी द्वारा दायरे में है। इन्हें नाममात्र से करा है। अतः सुले न्यायालय में सुनना गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी साँभर लोक</p>

